



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

डॉ. राकेश सिंह फकलियाल /Dr.Rakesh Singh Phakaliyal

27/2023-24/2176/437A

सहायक प्रोफेसर एवं लोक सूचना अधिकारी
Assistant Professor & Public Information Officer

दिनांक : 20/12/2023

महोदय/महोदया,

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत दिनांक 06.12.2023 का आवेदन (कार्यालय में दिनांक 07.12.2023 को प्राप्त) का संदर्भ ग्रहण करें। संबंधित इकाईयों से प्राप्त सूचना अनुसार वांछित जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.सं .	मांगी गई सूचना	प्रदान की गई सूचना
1.	विश्वविद्यालय में विधि विभाग की शुरुआत कब हुई	17/03/2016 को समिति गठित की गई थी उसी वर्ष से पाठ्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव पर सहमति बनी।
2.	विधि विभाग को मान्यता BCI या UGC में कौन देता है	बार कौंसिल ऑफ इंडिया कोर्स की मान्यता प्रदान करता है।
3.	विधि विभाग में कितने स्थाई प्रोफेसर हैं नाम सहित छायाप्रति दें।	प्रो. जनार्दन कुमार तिवारी, प्रोफेसर, विधि विभाग
4.	विधि विभाग को BCI की (उंसिल ऑफ इंडियाबार का) ता है तो उसकी प्रमाणित छायाप्रति दें।मान्य	कुल 04 पृष्ठ संलग्न
5.	महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा के विधि विभाग के (महाराष्ट्र)B.A. LLB के छात्र धरने पर क्यों बैठना पड़ा।	BCI की मान्यता, शिक्षकों की नियुक्ति तथा पुस्तकालय में विधि विषय की हिंदी में पुस्तको के लिए
6.	विधि विभाग के B.A. LLB के छात्रों ने BCI से मान्यता के लिए विश्वविद्यालय में कब और कितने आवेदन दिए	30/08/23, 06/10/23 और 29.11.23 को 3 बार आवेदन प्राप्त हुए

अगर आप प्रदत्त सूचना के संदर्भ में अपील करना चाहते हैं तो अपीलीय अधिकारी को इस पत्र के प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर नीचे दिए गए पते पर अपील कर सकते हैं -

प्रथम अपीलीय अधिकारी

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय,
पोस्ट - हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा-442001, महाराष्ट्र
फोन नं. 07152-230902, फेक्स - 07152-247602

भवदीय

(राकेश सिंह फकलियाल)